न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 43/25 GCMS NO 2025/77

1. आसीराम पुत्र भूरसिह
2. सत्यपाल पुत्र रामाधार जातियान जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन अब सूरौठ करौली

अपीलांट

बनाम

1. अमर सिह
2. विजेन्द्र
3. रेखसिह
4. भरतसिह
5. मुद्रा पित्रान मुकन्दा उर्फ मुख्तयार जाति गुर्जर निवासी खिरकवास तहसील बयाना जिला भरतपुर
6. रूपाली पत्नि मनोहरी पुत्री मुकन्दा उर्फ मुख्तयार जाति गुर्जर निवासी खिरकवास, निवासी रसेरी तहसील बयाना जिला भरतपुर
7. सुशीला पत्नि रामसिह पुत्री मुकन्दा उर्फ मुख्तयार जाति गुर्जर खिरकवास वंशिया का पुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर
8. केशवती पत्नि अमरसिह पुत्री मुकन्दा उर्फ मुख्तयार जाति गुर्जर निवासी खिरकवास हाल निवासी पावटा तहसील बयाना जिला भरतपुर
9. तहसीलदार तहसील हिण्डौन अब सूरौठ जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 02/2015 निर्णय व डिकी दिनांक 28.4.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन)

अभिभाषक अपीला0 श्री एस.एल.चौधरी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री कोई उपस्थित नही।

दिनांक 02.04.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 28.4.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण द्वारा दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजीयात कुल खसरा किता 43 कुल रकबा 15.09 है0 स्थित ग्राम धुरसी तहसील हिण्डौन जिला करौली स्थित है। उक्त आराजीयात मे प्रतिवादी न0 1 ता 8 के मृतक के पिता मुकन्दा उर्फ मुख्तयार का 1/16 हिस्सा दर्ज था व बाकी हिस्सा अन्य खातेदारो का नाम दर्ज था जो रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2062 से 2005 से स्पष्ट है। अन्य खातेदारो के हिस्से से वादीगण को किसी प्रकार का कोई उज्र नही है। इसलिए उनको दावे मे पक्षकार नही बनाया गया है। जबकि प्रतिवादीगण न0 1 ता 8 के पिता मुकन्दा का स्वर्गवास हो जाने के कारण कानूनी वारिस होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया है। प्रतिवादी न0 1 ता 8 के पिता मुकन्दा ने दिनांक 20.8.96 को वाद पत्र के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मद न0 1 मे दर्ज आराजीयात के अपने 1/16 भाग मे से 1/4 भाग अर्थात कुल आराजीयात मे से 1/84 हिस्से की रजिस्ट्री वादीगण के नाम 25000/–मे विक्रय कर रजिस्ट्री करवा दी। वह समस्त विक्रय राशि नकद मे प्राप्त कर ली व मौके पर वादीगण को कब्जा संभलवा दिया। तभी से लेकर आज तक वादीगण बहैसियत मालिक अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। चूंकि वादीगण ने उक्त मुकन्दा से रजिस्ट्री तो अपने नाम करवा ली थी व समझा की रजिस्ट्री के आधार पर खातेदारी हो गई लेकिन रजिस्ट्री का अमल आज तक नही हुआ है। इसलिए जमाबंदी के खाते मे खातेदारी उक्त विकेता प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पिता मुकन्दा के नाम दर्ज है। वादीगण दिनांक 15.12.14 का अपनी खरीद शुदा भूमि पर केडिट कार्ड बनवाने पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने केडिट कार्ड बनाने से इंकार कर दिया और कहा कि तुम इन भूमियो के मालिक नही हो वह भूमियां प्रतिवादी न0 1 ता 8 के मृतक पिता मुकन्दा के नाम दर्ज है। जिसके पश्चात वादीगण द्वारा तहसील कार्यालय मे जाकर विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 खोलने के लिए कहा तो तहसीलदार द्वारा इंकार कर दिया गया एवं सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नामा0 नही खोलने के लिए कहने पर दावा करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात वाद पत्र मे मद न0 1 मे दर्ज भूमि मे प्रतिवादी न0 1 ता 8 के पिता मुकन्दा के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं जमाबंदी के खाने मे मुताबिक विक्रय पत्र मुकन्दा के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पे0 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अभिभाष की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी दस्तावेजो का विधि सम्मत अवलोकन किये बिना ही गैर कानूनी रूप से निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.8.96 को भी नजर अंदाज कर गैर कानूनी तरीके से वादीगण का दावा खारिज किया है। जबकि अपीलांटगण द्वारा खरीद की गई दिनांक से ही रेस्पो0 का मौके पर कब्जा काश्त नही है। अपीलांट का ही कब्जा है। जिससे रेस्पो0 को कभी कोई आपत्ति नही रही है। क्योकि रेस्पो0 को पता है कि उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र सही रूप से तस्दीक कराया है इसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का दावा खारिज कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व डिक्री दिनांक 28.4.25 अपास्त किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का कोई अवलोकन नही किया है ना ही अपीलांट का दावा खारिज करने का कोई कानूनी कारण अपने निर्णय व डिक्री मे दिया है तथा मनमर्जी तरीके से गलत रूप से निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट के हक मे मुताबिक विक्रय पत्र जमाबंदी मे नामा0 खुलकर परिवर्तन होने पर रेस्पो0 को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही रही है। इसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से गैरकानूनी रूप से अपीलांट का दावा खारिज किया है। जो अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.25 निरस्त किया जाकर वादीगण/अपीलांट को विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.8.96 को मुकन्दा पुत्र गंगाविशन जाति गुर्जर द्वारा वादग्रस्त आराजीयात कुल किता 43 कुल रकबा 15.09 मे से अपना 1/16 हिस्सा मे से 1/4 हिस्सा अर्थात 1/64 हिस्सा वादीगण अर्थात अपीलांटगण को विक्रय किया गया है। चूकि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे नही होने के कारण विक्रय शुदा भूमि मे बतौर खातेदार मुकन्दा का नाम का अंकन रहा है एवं मुकन्दा के फौत हो जाने के उपरान्त विरासत का नामा0 प्रतिवादीगण के नाम खोला गया है। जिसके बाबत वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया परन्तु प्रतिवादीगण बाबजूद तामिल मे उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। अपीलांट/वादीगण का वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने पर अपील इस न्यायालय मे पेश की गई जिसमे भी रेस्पो0 अर्थात प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है परन्तु बाबजूद तामिल के प्रतिवादीगण /रेस्पो0 उपस्थित नही हुए है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का उज्र नही है एवं वादग्रस्त आराजीयात मे से मुकन्दा के हिस्से मे से 1/64 हिस्सा बरूये रजिस्टर्ड सही रूप से तस्दीक हुआ है। इस प्रकार वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 से बखूबी साबित है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही कर गैर कानूनी तरीके से निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा वादीगण/अपीलांट की अपील वाद पत्र अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के प्रकरण संख्या 2/15 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.25 को अपास्त किया जाता है तथा वादीगण/अपीलांट को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 20.8.96 प्रदर्श 1 अनुसार जो मुकन्दा द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मे से अपने 1/16 हिस्से मे से 1/4 भाग अर्थात कुल आराजीयात मे से 1/64 हिस्से का अपीलांटगण/वादीगण को बेचान किया गया है उसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिगरी वसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

1. आसीराम पुत्र भूरसिह
2. सत्यपाल पुत्र रामाधार जातियान जाट निवासी विजयपुरा तहसील हिण्डौन अब सूरौठ करौली

अपीलांट

बनाम

1. अतर सिह
2. विजेन्द्र
3. रेखसिह
4. भरतसिह
5. मुद्रा पित्रान मुकन्दा उर्फ मुख्तयार जाति गुर्जर निवासी खिरकवास तहसील बयाना जिला भरतपुर
6. रूपाली पत्नि मनोहरी पुत्री मुकन्दा उर्फ मुख्तयार जाति गुर्जर निवासी खिरकवास, निवासी रसेरी तहसील बयाना जिला भरतपुर
7. सुशीला पत्नि रामसिह पुत्री मुकन्दा उर्फ मुख्तयार जाति गुर्जर खिरकवास वंशिया का पुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर
8. केशवती पत्नि अमरसिह पुत्री मुकन्दा उर्फ मुख्तयार जाति गुर्जर निवासी खिरकवास हाल निवासी पावटा तहसील बयाना जिला भरतपुर
9. तहसीलदार तहसील हिण्डौन अब सूरौठ जिला करौली

रेस्पो0

अपील संख्या 43/2025 निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन दिनांक 28.4.25 वाद पत्र घोषणा खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा। यह अपील संख्या 43/25 व तारीख 02.4.2026 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री एस.एल.चौधरी अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 कोई उपस्थित नही। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन के प्रकरण संख्या 2/15 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.4.25 को अपास्त किया जाता है। वादीगण/अपीलांट को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 20.8.96 प्रदर्श 1 अनुसार जो मुकन्दा द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मे से अपने 1/16 हिस्से मे से 1/4 भाग अर्थात कुल आराजीयात मे से 1/64 हिस्से का वादीगण को बेचान किया गया है, उसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 02.04.26 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	———	———	स्टाम्प वकालतनामा	———	———
स्टाम्प वकालतनामा	———	———	स्टाम्प अर्जी	———	———
इजराय हुक्मनामा	———	———	इजराय हुक्मनामा	———	———
वकील फीस बाबत	———	———	महन्ताना वकील	———	———